भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं. 2023/ई(डब्ल्यू)/01/08/1 **नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2023**

महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयां एवं केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान।

विषय: परिवार के सदस्यों/आश्रित नातेदारों, आदि को पास/पीटीओ में शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का मानकीकरण ।

संदर्भ: बोर्ड का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2023 एवं उसके अनुसरण में दिनांक 13.07.2023 का अनुस्मारक ।

सुविधा पास/पीटीओ के डिजिटलीकरण और इनके स्वचालित जारी होने के परिणामस्वरूप सभी प्रकार के पासों/पीटीओ में परिवार के सदस्यों/आश्रित नातेदारों, आदि को शामिल करने के लिए दस्तावेज़ों का मानकीकरण बोर्ड का ध्यान आकर्षित करता रहा है। संदर्भाधीन पत्रों के तहत रेलों/उत्पादन इकाइयों/केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों/मान्यता प्राप्त फेडरेशनों से सुझाव/टिप्पणियाँ भी माँगी गयी थी ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

2. इस संबंध में प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतीय रेल में उपयोग के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की तालिका और "आश्रितता घोषणा" के प्रारूप, जिन्हें बोर्ड में अंतिम रूप दिया गया है, अनुलग्नक-I एवं II के रूप में संलग्न हैं।

3. पास जारीकर्ता प्राधिकारी केवल अनुलग्नक में निर्धारित दस्तावेज़ों की ही मांग करें और पूर्व में प्रचलित अन्य दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने पर ज़ोर न दें । बहरहाल, पास में शामिल किए जाने के लिए लाभार्थी की पात्रता के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह को स्पष्ट करने के लिए पास जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक विवरणों/अतिरिक्त दस्तावेज़ों की मांग की जा सकती है। ऐसे मामलों में पास खाताधारक से स्पष्टीकरण/दस्तावेज़ों के प्राप्त होने के पश्चात अंतिम निर्णय कार्मिक विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी के रूप में पास अनुभाग की देखरेख करता हो, के अनुमोदन से 15 दिनों के भीतर लिया जाएगा ।

4. मौजूदा मामलों में जहां लाभार्थियों की पात्रता पहले ही तय हो चुकी है, अब निर्धारित दस्तावेजों की मांग कर समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है ।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

Rabi Bhowmiya

वी. मुरलीधरन

(वी. मुरलीधरन)
संयुक्त निदेशक स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड
ई-मेल : v.muralidharan@gov.in
फोन नं.: 011-23047203

संलग्न : यथोक्त ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(i) कार्यपालक निदेशक वेतन आयोग/रेलवे बोर्ड : एचआरएमएस के ई-पास/पीटीओ मॉड्यूल के संबंध में।
(ii) संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
(iii) कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड : सभी संबंधितों के सूचनार्थ रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नंबर 402, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा नंबर 439, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी अधिकारी संघ, कमरा नंबर 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी / एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी महासंघ, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली.

दिनांक 02.11.2023 के बोर्ड के पत्र
सं. 2023/ई(डब्ल्यू)/01/08/1 का अनुलग्नक-I

पास/पीटीओ में कुटुंब के सदस्यों, आश्रित नातेदारों, आदि को शामिल करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज़ों की तालिका

क्र.सं.	उद्देश्य	पहली बार	नियमित अंतराल में
1.	पति/पत्नी को शामिल करना।	स्व-घोषणा या विवाह आमंत्रण या विवाह प्रमाण-पत्र।	आवश्यक नहीं है।
2.	अविवाहित पुत्री को शामिल करना।	जन्म प्रमाण-पत्र / स्कूल प्रमाण-पत्र।	आवश्यक नहीं है।
3.	पुत्र, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो और पूर्ण रूप से आश्रित है, को शामिल करना ।	जन्म प्रमाण-पत्र/ स्कूल प्रमाण-पत्र।	आवश्यक नहीं है।
4.	21 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु के फुल टाइम विद्यार्थी पुत्र को शामिल करना।	(i) सद्भाविक विद्यार्थी प्रमाण-पत्र। **(बीएससी)** (ii) आश्रितता घोषणा-पत्र।	प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष **(अर्थात एवाई)**:- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष **(अर्थात सीएवाई)** का बीएससी या सीएवाई की कोई शुल्क रसीद (अर्थात मासिक, त्रैमासिक , आदि) ।
5.	21 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु का पुत्र, जो अनुसंधान कार्य में लगा हो और कोई छात्रवृत्ति/वृत्तिका नहीं पा रहा हो, को शामिल करना।	(i) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र जिसमें छात्रवृत्ति/वृत्तिका दी गई है या नहीं के साथ प्रवेश की अवधि का विवरण दिया गया हो । (ii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
6.	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अधीन आबद्ध शिक्षार्थी के रूप में कार्य कर रहे 21 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु के पुत्र को शामिल करना।	(i) संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें आर्टिक्लशिप की कुल अवधि का उल्लेख किया गया हो। (ii) आश्रितता घोषणा ।	आवश्यक नहीं है।
7.	दिव्यांग पुत्र/पुत्री को शामिल करना ।	(i) "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016/नियम-2017" के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र। (ii) आश्रितता घोषणा, उन मामलों में जहां कहीं लागू हो ।	आवश्यक नहीं है।
8.	विधवा पुत्री को शामिल करना।	(i) विधवा पुत्री के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र । (ii) आश्रितता घोषणा ।	आवश्यक नहीं है।
9.	वैध रूप से विच्छिन्न विवाह पुत्री को शामिल करना ।	(i) तलाक हुक्मनामा/न्यायालय आदेश । (ii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
10.	स्कूल चेक पास ।	(i) सद्भाविक विद्यार्थी प्रमाण-पत्र । (ii) यात्रा के उद्देश्य के विवरणों सहित कर्मचारियों का अनुरोध । संस्थान से किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। (iii) आश्रितता घोषणा, उन मामलों में जहां कहीं लागू हो।	प्रत्येक एवाई :- (i) सीएवाई का बीएससी । या सीएवाई की कोई शुल्क रसीद (अर्थात मासिक, त्रैमासिक , आदि) । (ii) उद्देश्य के विवरणों सहित कर्मचारियों का अनुरोध।

क्र.सं.	उद्देश्य	पहली बार	नियमित अंतरालों में
11.	स्कूल कार्ड पास।	(i) सद्भाविक विद्यार्थी प्रमाण-पत्र । (ii) आश्रितता घोषणा, उन मामलों में जहां कहीं लागू हो ।	प्रत्येक एवाई : सीएवाई का बीएससी। या सीएवाई की कोई शुल्क रसीद (अर्थात मासिक, त्रैमासिक , आदि) ।
12.	दत्तक संतान को शामिल करना।	दत्तक ग्रहणता का प्रमाण।	आवश्यक नहीं है।
13.	आश्रित विधवा माँ को शामिल करना।	(i) रेल सेवक के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र। (ii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
14.	आश्रित विच्छिन्न माँ को शामिल करना।	(i) तलाक हुक्मनामा/न्यायालय आदेश । (ii) आश्रितता घोषणा ।	आवश्यक नहीं है।
15.	अविवाहित बहन को शामिल करना।	(i) रेल सेवक के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र । (ii) आश्रितता घोषणा ।	आवश्यक नहीं है।
16.	विधवा बहन को शामिल करना।	(i) रेल सेवक के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र। (ii) विधवा बहन के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र । (iii) आश्रितता घोषणा ।	आवश्यक नहीं है।
17.	कानूनी रूप से विच्छिन्न बहन को शामिल करना।	(i) रेल सेवक के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र। (ii) तलाक हुक्मनामा /न्यायालय आदेश। (iii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
18.	भाई/सौतेला भाई, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो, को शामिल करना।	(i) रेल सेवक के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र। (ii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
19.	फुल टाइम विद्यार्थी भाई/सौतेला भाई, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, को शामिल करना।	(i) रेल सेवक के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र। (ii) सद्भाविक विद्यार्थी प्रमाण-पत्र। (iii) आश्रितता घोषणा।	प्रत्येक एवाई :- सीएवाई का बीएससी। या सीएवाई की कोई शुल्क रसीद (अर्थात मासिक, त्रैमासिक , आदि) ।
20.	भाई/सौतेला भाई, जो दिव्यांग हो, को शामिल करना।	(i) रेल सेवक के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र। (ii) "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016/नियम-2017" के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र। (iii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
21.	पिता के कम से कम 7 वर्षों से अधिक समय से लापता होने के मामले में पात्र आश्रित नातेदारों को शामिल करना।	(i) लापता अवधि के संबंध में रेल सेवक द्वारा हस्ताक्षरित और मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र । (ii) पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र को छोड़कर आश्रित नातेदारों के लिए निर्धारित दस्तावेज़ । (iii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
22.	विवाहित पुत्री को पास/पीटीओ में शामिल करना जब उसका पति कम से कम 7 वर्षों से अधिक समय से लापता हो ।	(i) लापता अवधि के संबंध में रेल सेवक द्वारा हस्ताक्षरित और मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र । (ii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।

क्र.सं.	उद्देश्य	पहली बार	नियमित अंतराल में
23.	आश्रित भाई/बहन को पास/पीटीओ में शामिल करना जब सौतेला पिता जीवित हो परंतु बच्चों के साथ संबंध तोड़ दिया हो।	(i) नोटरीकृत हलफनामा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि सौतेले पिता ने अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ दिया है। (ii) आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
24.	विधवा पास में शामिल होने के लिए पात्र सदस्यों के पक्ष में (रेल सेवक और उनके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद) विधवा पास सुविधा जारी रखना।	(i) रेल सेवक और उनके पति/पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र। (ii) उन मामलों में जहां लागू हो, आश्रितता घोषणा।	आवश्यक नहीं है।
25.	ग्रुप 'सी' दिव्यांग रेल सेवक को उच्च श्रेणी पास।	"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016/नियम-2017" के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।	आवश्यक नहीं है।
26.	जब रेल कर्मचारी अपने परिवार/आश्रित रिश्तेदारों के साथ जाने में असमर्थ हो, ऐसी विशेष परिस्थितियों में स्प्लिट पास जारी करना।	विस्तृत कारणों को इंगित करते हुए अनुरोध के साथ सहायक दस्तावेज, यदि कोई हो।	लागू नहीं है।
27.	पास नियमों में निर्धारित परिस्थितियों में परिचर को अलग से द्वितीय/शयनयान श्रेणी का पास जारी करना।	कारणों को निर्दिष्ट करते हुए अनुरोध।	लागू नहीं है।
28.	बोर्ड के दिनांक 19.07.2019 के पत्र संख्या ई (डब्ल्यू) 2017/पीएस 5-1/6 के तहत दिव्यांग रेल सेवक या उसके परिवार के सदस्यों/आश्रित नातेदारों को जारी किए जाने वाले पास/पीटीओ में सहचर को शामिल करना।	(i) "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016/नियम-2017" के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (ii) चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद रेलवे अस्पताल में मंडल चिकित्सा अधिकारी की रैंक से कम न हो, के द्वारा विधिवत जारी सहचर आवश्यकता प्रमाण पत्र।	आवश्यक नहीं है।

नोट:-

1. केंद्र/राज्य सरकार/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त पूर्णकालिक नियमित अध्ययन प्रदान करने वाले शैक्षिक संस्थानों के द्वारा जारी सद्भाविक विद्यार्थी प्रमाण-पत्र (बीएससी)/शुल्क रसीद (या तो मूल अन्यथा स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि) ही मान्य होंगे। इग्नू/इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय/इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/संविधि के तहत स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित संस्थानों में पूर्णकालिक अध्ययन के संबंध में सद्भाविक विद्यार्थी प्रमाण-पत्र के स्थान पर बोर्ड के दिनांक 13.11.2000 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)1996/पीएस5-1/30 के अनुसार घोषणा मान्य होगी।
2. ऐसे मामलों में जहां मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, एक हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कार्मिक विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा लिया जायेगा ।
3. पहले से स्वीकृत दस्तावेजों के आधार पर, मौजूदा लाभार्थियों को जारी रखा जाएगा। नए दस्तावेज़ों की आवश्यकता नहीं होगी।
4. परिचर के स्थान पर अभिभावक/सहचर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी विशिष्ट सहायक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
5. परिवार/आश्रितता की घोषणा एचआरएमएस के ई-पास/पीटीओ मॉड्यूल के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन होंगी ।
6. पास खाता धारक की यह जिम्मेदारी होगी कि जब भी कोई लाभार्थी आश्रितता मानदंड से बाहर निकलता है तो वह संबंधित पास जारीकर्ता प्राधिकारी को इस सम्बन्ध में तुरंत सूचित करें।
7. गलत घोषणा/ जानकारी छुपाने का पता चलने पर रेल सेवकों को कठोर दंड दिया जाएगा और अन्य मामलों में पास सुविधा जब्त कर ली जाएगी।

****

दिनांक 02.11.2023 के बोर्ड के पत्र
सं. 2023/ई(डब्ल्यू)/01/08/1 का अनुलग्नक-II

आश्रितता घोषणापत्र

मैं____________________________________(नाम),____________________
____________________(पदनाम), के रूप में सेवारत/सेवानिवृत एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि समय-समय पर संशोधित रेल सेवक (पास) नियम-1986 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति मुझ पर आश्रित है / हैं: -

या

मैं____________________________________(घोषणापत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम), ____________________________________(रेल सेवक का नाम), ____________________________________(सेवानिवृत्ति के समय पद) की/का ____________________ (रेल सेवक के साथ संबंध) एतद्वारा घोषणा करती/करता हूं कि समय-समय पर संशोधित रेल सेवक (पास) नियम-1986 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति मुझ पर आश्रित है/हैं: –

क्र.सं. (1)	नाम (2)	आयु (वर्षों में) (3)	सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी के साथ संबंध (4)	सभी स्रोतों से मासिक आय @ (5)
1				
2				
3				
4				
5				
@ वृद्ध पेंशन भोगियों को देय अतिरिक्त पेंशन और उस पर महंगाई राहत को शामिल नही किया जाएगा।				

2. मेरा मूल वेतन ______________ (केवल सेवारत रेल सेवकों के लिए) है।

3. मैं यह भी घोषणा करती/करता हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ताक्षर : ____________________
दिनांक : ____________________
मोबाइल नं. : ____________________

टिप्पणी:

यह घोषणापत्र सेवारत/सेवानिवृत्त रेल सेवक या मृतक रेल सेवक की विधवा/विधुर या विधवा पास जारी रखने की स्थिति में विधवा पास में शामिल होने के पात्र सबसे बड़े लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

****